UPMP010017272026

न्यायालय SC/ST (P.A) act, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06134**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 653 / 2026

मशूक यादव उर्फ सहदेव पुत्र लायक सिंह निवासी नगला वरी थाना बरनाहल जिला मैनपुरी।

–आवेदक /अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –विपक्ष

दिनांक:– 06.05.2026

आदेश

यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के तहत अभियुक्त मशूक यादव उर्फ सहदेव द्वारा एस०टी० नं० 93/2024, मु०अ०स० 202/2024 अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.स. एवं धारा 3(1) द,ध थाना बरनाहल जिला मैनपुरी के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त केस में माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर था। वह गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करने बाहर चला गया था जहां वह बीमार पड़ गया तथा पूर्व अधिवक्ता को हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र नही दिया जिस कारण उसके विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी हो गये। वह दिनांक 17.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नही की है जो क्षमा योग्य न हो। प्रार्थी भविष्य में ऐसी नही गलती नही करेगा एवं समयानुसार न्यायालय में हाजिर आवेगा। प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र गवाह नही है। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। आवेदक/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाना अति आवश्यक है। अत: आवेदक/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

सुना तथा अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त विगत कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं आया और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण विचारण में विलम्ब हुआ है। अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानत अधिपत्र जारी कर दिये गये। अभियुक्त **दिनांक 17.04.2026** से धारा 309 दं.प्रं.स. (धारा 346 बी.एन.एस.एस) के वारण्ट पर जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति नहीं होगी।

मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के मत में अभियुक्त को पुन: जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 50,000/– रूपये का फ्रेस व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को निम्न शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि अभियुक्त इस आशय का एक अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान प्रत्येक नियमित तिथि पर न्यायालय स्वयं या जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहायता करेगा व बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के समय वह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

ACHCHHE LAL SAROJ

Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.05.07 07:30:24 +0530

(अच्छे लाल सरोज)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
एस.सी/एस.टी (पी.ए. एक्ट), मैनपुरी।